International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA)
Multidisciplinary Peer-Reviewed Online Open Access Journal Impact Factor: 5.4
Volume 6, Issue 2, Apr-June 2026 ID: IJCRTA000246 ISSN: 2583-1801
Email: ijcrta@gmail.com Website: www.ijcrta.org

स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम और आदिवासी महिला सशक्तिकरण : एक सैद्धांतिक अध्ययन

भावना गौहर

Author Affiliation:
सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र).

Citation of Article: गौहर, बी. (2026). स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम और आदिवासी महिला सशक्तिकरण : एक सैद्धांतिक अध्ययन (2020–2026). International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA) ISSN: 2583-1801, 6 (2), pg. 56-61. ijcrta.org

DOI: 10.5281/zenodo.20786458

सारांश:

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण विकास नीतियों के प्रमुख उद्देश्य बन गए हैं। विकासशील देशों में विशेष रूप से ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तीय सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थितियों में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups- SHGs) आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के प्रभावी माध्यम के रूप में उभरे हैं। भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन ने ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण, उद्यमिता तथा वित्तीय प्रबंधन से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों के सैद्धांतिक आधारों का विश्लेषण करते हुए आदिवासी महिलाओं की आय, बचत एवं निवेश व्यवहार पर इनके प्रभावों का अध्ययन करना है। यह शोध-पत्र अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण, सामाजिक पूंजी सिद्धांत, महिला सशक्तिकरण सिद्धांत तथा वित्तीय समावेशन सिद्धांत के आलोक में सूक्ष्म वित्त की भूमिका का विवेचन करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम केवल ऋण वितरण की व्यवस्था नहीं हैं, बल्कि वे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामुदायिक नेतृत्व को विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

कुंजी शब्द: सूक्ष्म वित्त, स्वयं सहायता समूह, आदिवासी महिलाएं, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक पूंजी।

प्रस्तावना:

भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बहुल देश है, जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु लंबे समय तक महिलाओं को आर्थिक संसाधनों और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा वित्तीय बहिष्करण जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आदिवासी महिलाएं कृषि, वनोपज संग्रहण, पशुपालन तथा घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, लेकिन उनकी आर्थिक भूमिका को

पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक सीमित पहुंच, संपत्ति पर अधिकार का अभाव तथा वित्तीय जागरूकता की कमी उनके आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों ने आदिवासी महिलाओं को संगठित कर उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने का कार्य किया है। भारत में 1992 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा प्रारंभ किया गया SHG-Bank Linkage Programme सूक्ष्म वित्त आंदोलन की आधारशिला माना जाता है। इस कार्यक्रम ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को बचत एवं ऋण सुविधाओं से जोड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सूक्ष्म वित्त की अवधारणा एवं विकास:

सूक्ष्म वित्त (Microfinance) का तात्पर्य उन वित्तीय सेवाओं से है जो निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें लघु ऋण, बचत, बीमा, धन अंतरण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का आधुनिक स्वरूप बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस द्वारा विकसित किया गया, जिन्होंने ग्रामीण बैंक (Grameen Bank) की स्थापना कर गरीब महिलाओं को बिना जमानत ऋण प्रदान करने की व्यवस्था विकसित की। भारत में सूक्ष्म वित्त का विकास स्वयं सहायता समूह मॉडल के माध्यम से हुआ। यह मॉडल सामूहिक बचत एवं पारस्परिक विश्वास पर आधारित है। समूह की महिलाएं नियमित बचत करती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर समूह निधि से ऋण प्राप्त करती हैं। बाद में बैंक इन समूहों को ऋण प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है। सूक्ष्म वित्त का मूल उद्देश्य गरीबों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर आर्थिक आत्मनिर्भरता विकसित करना है। यह केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का उपकरण भी है।

स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा एवं स्वरूप:

स्वयं सहायता समूह ऐसे छोटे स्वैच्छिक समूह होते हैं जिनमें सामान्यतः 10 से 20 सदस्य शामिल होते हैं। समूह के सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। समूह की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

1. नियमित बचत।
2. सामूहिक निर्णय प्रक्रिया।
3. आंतरिक ऋण व्यवस्था।
4. सामूहिक उत्तरदायित्व।
5. वित्तीय अनुशासन।
6. महिला नेतृत्व का विकास।

स्वयं सहायता समूहों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे महिलाओं में आत्मविश्वास, सहयोग तथा सामूहिकता की भावना विकसित करते हैं। यही कारण है कि इन्हें महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम माना जाता है।

आदिवासी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति:

भारत की जनजातीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग है। आदिवासी समुदाय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवनयापन करते हैं। यद्यपि आदिवासी समाज में महिलाओं की भूमिका अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण

मानी जाती है, फिर भी वे आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में रहती हैं। आदिवासी महिलाओं की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं—

- गरीबी एवं निम्न आय।
- अशिक्षा एवं कौशल की कमी।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं।
- वित्तीय संस्थाओं तक सीमित पहुंच।
- बाजार से कमजोर जुड़ाव।
- संपत्ति एवं संसाधनों पर सीमित अधिकार।

इन चुनौतियों के कारण आदिवासी महिलाओं का आर्थिक विकास बाधित होता है। इसलिए उनके सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

सैद्धांतिक आधार:

1. अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण: अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का अर्थ केवल आय वृद्धि नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की क्षमताओं और स्वतंत्रताओं का विस्तार करना है। जब महिलाओं को वित्तीय संसाधन, शिक्षा एवं अवसर उपलब्ध होते हैं, तब वे अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम बनती हैं। सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान कर उनकी क्षमताओं का विकास करते हैं। इससे वे आत्मनिर्भर बनती हैं तथा सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं।

2. सामाजिक पूंजी सिद्धांत: रॉबर्ट पुटनम के अनुसार सामाजिक संबंध, विश्वास एवं सहयोग विकास की महत्वपूर्ण पूंजी हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के बीच विश्वास, सहयोग एवं सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देते हैं। समूह आधारित कार्यप्रणाली महिलाओं को सामाजिक नेटवर्क प्रदान करती है, जिससे वे सूचना, संसाधन एवं अवसरों का बेहतर उपयोग कर पाती हैं।

3. महिला सशक्तिकरण सिद्धांत: महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को संसाधनों, अवसरों एवं निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करना है। सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक संसाधनों तक पहुंच देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति एवं पारिवारिक भूमिका में सुधार होता है।

4. **वित्तीय समावेशन सिद्धांत:** वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ना है। स्वयं सहायता समूह बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम हैं। इससे महिलाएं बचत, ऋण एवं बीमा जैसी सेवाओं का लाभ प्राप्त करती हैं।

सूक्ष्म वित्त और आय वृद्धि:

सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव महिलाओं की आय में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। जब महिलाओं को ऋण प्राप्त होता है, तो वे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, लघु उद्योग एवं व्यापार जैसी गतिविधियों में निवेश करती हैं।

आय वृद्धि के प्रमुख कारण हैं—

- स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार।
- उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
- बाजार तक पहुंच में सुधार।
- साहूकारों पर निर्भरता में कमी।
- उद्यमिता का विकास।

बढ़ी हुई आय महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है तथा परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाती है।

सूक्ष्म वित्त और बचत व्यवहार:

बचत आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार है। स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली नियमित बचत पर आधारित होती है। समूह की प्रत्येक सदस्य निर्धारित राशि का नियमित योगदान करती है।

इस प्रक्रिया से महिलाओं में—

- वित्तीय अनुशासन विकसित होता है।
- भविष्य के लिए सुरक्षा निधि तैयार होती है।
- आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है।
- बैंकिंग प्रणाली से जुड़ाव बढ़ता है।

बचत की आदत महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक आत्मविश्वासी बनाती है।

सूक्ष्म वित्त और निवेश व्यवहार:

निवेश आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम महिलाओं को उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। महिलाएं कृषि, पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प एवं लघु व्यापार में निवेश कर आय के स्थायी स्रोत विकसित करती हैं।

निवेश व्यवहार में परिवर्तन के प्रमुख परिणाम हैं—

- उत्पादन में वृद्धि।
- रोजगार के अवसरों का सृजन।
- आय के विविध स्रोतों का विकास।
- आर्थिक जोखिमों में कमी।

इस प्रकार सूक्ष्म वित्त निवेश संस्कृति को बढ़ावा देकर सतत आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।

सूक्ष्म वित्त और वित्तीय समावेशन:

वित्तीय समावेशन सामाजिक एवं आर्थिक विकास की आधारशिला है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं पहली बार बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी हैं।

वित्तीय समावेशन के प्रमुख लाभ हैं—

- बैंक खाता संचालन।

- संस्थागत ऋण तक पहुंच।
- बीमा सेवाओं का लाभ।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग।
- वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि।

इससे महिलाओं की आर्थिक मुख्यधारा में भागीदारी बढ़ती है।

सूक्ष्म वित्त और महिला सशक्तिकरण:

सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम महिलाओं के बहुआयामी सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम हैं। ये कार्यक्रम केवल आर्थिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं नियमित बचत, ऋण प्रबंधन एवं आय सृजन गतिविधियों में भाग लेकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता के परिणामस्वरूप उनकी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा परिवार एवं समाज में उनकी भूमिका अधिक प्रभावशाली बनती है। सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। समूह गतिविधियों में सहभागिता के माध्यम से महिलाएं अपने विचार व्यक्त करना, सामूहिक निर्णय लेना तथा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर नेतृत्व करना सीखती हैं। इसके अतिरिक्त, इन कार्यक्रमों से महिलाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ती है तथा वे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक विकास संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं। सूक्ष्म वित्त लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करता है। परिणामस्वरूप महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं रह गई हैं, बल्कि विकास प्रक्रिया की सक्रिय भागीदार और परिवर्तन की वाहक बनकर उभर रही हैं।

चुनौतियां एवं सीमाएं:

यद्यपि स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों ने आदिवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथापि इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ एवं सीमाएँ विद्यमान हैं। आदिवासी महिलाओं में वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर होने के कारण वे बचत, निवेश एवं ऋण प्रबंधन संबंधी निर्णयों को प्रभावी ढंग से नहीं ले पाती हैं। कई क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सीमित होने से महिलाएं अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पातीं। इसके अतिरिक्त, विपणन सुविधाओं के अभाव में उनके उत्पादों को उचित बाजार और मूल्य नहीं मिल पाता। डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण वे आधुनिक बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पातीं। कुछ स्वयं सहायता समूह संस्थागत रूप से कमजोर हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। साथ ही, अत्यधिक ऋणग्रस्तता का जोखिम भी बना रहता है। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सीमित उपलब्धता भी एक प्रमुख बाधा है। इन चुनौतियों के समाधान के बिना कार्यक्रमों की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करना कठिन होगा।

सुझाव:

सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को नियमित रूप से उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे वे स्वरोजगार एवं लघु उद्यमों का सफल संचालन कर सकें। महिलाओं में बचत, निवेश एवं ऋण प्रबंधन संबंधी समझ

विकसित करने हेतु वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए। वर्तमान डिजिटल युग में उन्हें डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही, उनके उत्पादों के लिए बाजार संपर्क एवं विपणन सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो सके। आदिवासी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला (Value Chain) विकसित कर उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों को पर्याप्त ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाए। आदिवासी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय समावेशन की लक्षित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपसंहार:

स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुए हैं। इन कार्यक्रमों ने महिलाओं को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान कर उनकी आय, बचत एवं निवेश व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किया है। साथ ही आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा निर्णय लेने की योग्यता का विकास भी किया है। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण, सामाजिक पूंजी सिद्धांत तथा वित्तीय समावेशन की अवधारणा के आलोक में यह स्पष्ट है कि सूक्ष्म वित्त केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं, बल्कि समावेशी विकास और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त उपकरण है। आदिवासी महिलाओं के सतत एवं समावेशी विकास के लिए स्वयं सहायता समूह आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रमों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. Agarwal, B. (1994). A field of one's own: Gender and land rights in South Asia. Cambridge University Press.
2. Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). The economics of microfinance (2nd ed.). MIT Press.
3. Banerjee, A. V., Karlan, D., & Zinman, J. (2015). Six randomized evaluations of microcredit: Introduction and further steps. American Economic Journal: Applied Economics, 7(1), 1–21. https://doi.org/10.1257/app.20140287
4. Batliwala, S. (1994). The meaning of women's empowerment: New concepts from action. In G. Sen, A. Germain, & L. C. Chen (Eds.), Population policies reconsidered: Health, empowerment and rights (pp. 127–138). Harvard University Press.
5. Government of India, Ministry of Rural Development. (2024). Annual report 2023–24. Government of India.
6. Kabeer, N. (2005). Is microfinance a magic bullet for women's empowerment? Analysis of findings from South Asia. Economic and Political Weekly, 40(44/45), 4709–4718.